हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.01.22	वादीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र U/S 151 CPC इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उनवान का मुकदमा माननीय न्यायालय मे जेरकार है किन्तु दिनांक 06.08.2021 को सांगोद कस्बे मे आई भीषण बाढ़ का पानी न्यायालय के रिकार्ड रूम मे घुसने के कारण न्यायालय की कई पत्रावलियां बाढ़ मे डूब गई तथा बाढ़ के बाद का न्यायालय से उपलब्ध चालू पत्रावलियों की सूची को देखने पश्चात हुआ है कि हस्तगत पत्रावली उक्त सूची मे शामिल नही है जिससे उक्त पत्रावली का बाढ़ मे नष्ट होने की पूर्ण सम्भावना बन गई है तथा पेशगार जी से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा भी उक्त पत्रावली न्यायालय रिकार्ड मे नही होना जाहिर किया है। चूंकि पक्षकारो मे राजीनामा हो गया है जो मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है, ऐसी परिस्थितियों मे न्याय के [illegible] मे प्राप्त करने के लिये [illegible] उपलब्ध रिकार्ड से डूब गई पत्रावली का पुनर्गठन	रामप्रसाद पुत्र [illegible] नि. अं. लाडूबाई नि. अं. हीरालाल दुर्गालाल शर्मा नि. अं. रामचन्द्र नि. अं. [illegible] नाथी नि. अं. [illegible] लाल श्रीम. अभिभाषक (ब्रजमोहन गौतम) एडवोकेट

मांगीबाई

(... गौतम) एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:42 IST
Reason: SelfAttested

मके प्रकरण के आगे कार्यवाही की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित हैं। प्रकरण भूमि/बुर्ज के विभाजन का है तथा उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होना ज्ञात हुआ है व पक्षकारान राजीनामा हेतु [illegible] विभाजन संबंधी प्रकरण का निस्तारण भी करना चाहते हैं। यह सर्वविदित है कि गत 06.08.2021 को ईलाड़ नदी की बाढ़ का पानी न्यायालय के मुख्य से कई पत्रावलियां बाढ़ के पानी से नष्ट हुई हैं। पक्षों के न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रा.पत्र वादी अन्तर्गत धारा 151 CPC स्वीकार कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत Duplicate पत्रावली को रिकार्ड पर लेकर प्रकरण के आगे की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

तत्पश्चात् वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि मुकदमे के प्रतिवादी क्र. 5 की दिनांक 28.09.2020 को मृत्यु हो गई है जो लावारिस/कुंवारा फौत हुआ है [illegible] उत्तराधिकारी प्रतिवादी [illegible] ही रिकार्ड पर है, लिहाजा प्रतिवादी क्र.5 का नाम विलोपित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रति. क्र.5 का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:42 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म की तामील मे जारी हुए

रिकार्ड से Delete करने का आदेश दिया जाता है, तदनुसार वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक वादपत्र प्रस्तुत किया, जो रिकार्ड पर लिया गया। तदोपरान्त पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री करने का निवेदन किया। वादीगण की पहचान श्री नरेश कुमार गौतम एड. ने व प्रतिवादीगण की पहचान श्री जयवर्धन गौतम एड. द्वारा की गई। पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया, राजीनामे पर पक्षकारान द्वारा स्वतंत्र सहमति व्यक्त की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक राजीनामा दावा वादीगण डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. पत्रा. किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 178/2011 तारीख दायरा 28.01.2011

उनवान

श्रीमती मांगीबाई पुत्री श्री घांसी पत्नी श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता हाल निवासी ग्राम कुराडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा। – वादीनी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र श्री मन्नालाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद हाल निवासी म.नं. 1422, वार्ड नं. 2, गली नं. 3, रोडवेज डिपो के पास, कुन्हाडी कोटा।
2. श्रीमती लटूरबाई पुत्री श्री मन्नालाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद हाल निवासी म.नं. 1422, वार्ड नं. 2, गली नं. 3, रोडवेज डिपो के पास कुन्हाडी कोटा।
3. छीतरलाल पुत्र श्री लटूरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद।
4. दुर्गालाल पुत्र श्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद।
5. राजेन्द्र पुत्र श्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद।
6. रामकन्या पुत्री श्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद।
7. रामनाथी बेवा श्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद।
8. अमरलाल पुत्र श्री घांसीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तह0 सांगोद।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 28.01.2022

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादीनी)

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:42 IST
Reason: SelfAttested

––निर्णय––

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 9 के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 59 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नंबर 60 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 61 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नंबर 62 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नंबर 63 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 5 की कुल 3.30 हैक्टर आराजी माल ग्राम खोबदा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी में वादीनी का 5/12 हिस्सा निहित है जिसमें 1/12 हिस्सा वादीनी को अपने पिता घांसीलाल से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है तथा शेष 1/3 हिस्सा पूर्वखातेदार छोटू पुत्र बक्षू से जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख कमांक 2006000423 दिनांक 27.06.2006 से कय किया गया तथा विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी कं. 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी कं. 4 लगायत 8 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी कं. 9 का 1/12 हिस्सा निहित है जिसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड से भी होती है। वादी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 9 विवादग्रस्त आराजी को संयुक्त रूप से काश्त करते हैं व फसल के समय मुताबिक हिस्सा अपने–अपने हिस्से की फसल व चारा बांट लेते हैं किन्तु फसल के समय हर वर्ष आपस में विवाद होता है तथा वादीनी महिला होने के कारण प्रतिवादीगण कं. 3 लगायत 9 वादीनी के हिस्से की फसल से कम फसल देने पर आमादा रहते हैं। इस वर्ष सोयाबीन की फसल तैयार होने पर मुताबिक हिस्सा फसल व चारे का बंटवारा करते वक्त प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 ने वादीनी व प्रतिवादी कं. 1, 2 के हिस्से की फसल व चारा देने से इन्कार कर दिया व कहा कि भूमि विकास बैंक सांगोद का कर्ज चुकाना है, इसलिये तुम्हें तुम्हारे हिस्से की फसल नहीं देंगें जबकि वस्तु स्थिति यह है कि प्रतिवादीगण ने बैंक का ऋण भी नहीं चुकाया व सम्पूर्ण बैंक ऋण वादीनी ने ही चुकाया है। वादीनी के महिला होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 ने फगडा–फसाद करना प्रारम्भ कर दिया है जिसके बाद वादीनी ने दिनांक 05.11.2011 को प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करवाने हेतु तहसील कार्यालय में चलने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण कं. 3 लगायत 9 ने इन्कार कर दिया तथा वादीनी को खेत में पैर रखते ही जान से मारने व वादीनी के हिस्से की फसल नहीं देने की धमकी दी। प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 झगडालू व ताकतवर किस्म के लोग हैं जिनका मुकाबला करने में वादीनी असमर्थ है। वादीनी व प्रतिवादी कं. 1, 2 अपने हिस्से की आराजी को काश्त करने के लिए ट्रैक्टर लेकर गये तो प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 ने हांकने से मना कर दिया। इस प्रकार वादीनी के हिस्से की आराजी पर वेस्ट, डेमेज व एलाइनेशन का खतरा बन गया है तथा यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त नाजायज मंसूबों में लगातार कामयाब रहे तो वादीनी को अपने हिस्से की आराजी से महरूम होना पडेगा जिससे वादीनी को ऐसी अपरिमित [illegible] हो[illegible] जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में वादीनी के लिए माननीय न्यायालय [illegible] वादपत्र बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण दि[illegible]क 05.11.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

खाता विभाजन करने से इन्कार करने व वादीनी के हिस्से की फसल देने से मना करने व खेत पर पैर रखते ही जान से मारने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अतः माल ग्राम खोबदा तहसील सांगोद में स्थित वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित संयुक्त आराजी 3.30 हैक्टर में निहित वादीनी के हिस्से की 5/12 हिस्सा, प्रतिवादी कं. 1, 2 के हिस्से की 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी कं. 3 के हिस्से की 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी कं. 4 लगायत 8 के हिस्से की 1/12 व प्रतिवादी कं. 9 के हिस्से की 1/12 हिस्सा का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर खाता विभाजन किया जाकर लगानराज भी राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक अंकित किया जावे तथा बाद विभाजन वादीनी के हिस्से में आने वाली आराजी का सीमांकन कर मौके पर निशान कायम कर वादीनी की आराजी वादीनी को सम्भलायी जावे तथा उक्त आराजी में निहित वादीनी के हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी में वादीनी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण कं. 3 लगायत 9 किसी प्रकार से मदाखलत मजामहत, क्षति, नुकसान इत्यादि न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

वादीनी की ओर से उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 1, 2 की ओर से इस आशय का जवाब मय काउण्टर वादपत्र पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की आराजी है जो कि उनसे विरासत में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कं. 1, 2 के पिता मन्ना का 1/3 हिस्सा निहित है जो उनकी मौत के बाद प्रतिवादी कं. 1, 2 को विरासतन प्राप्त हुआ है, विवादग्रस्त आराजी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रतिवादी कं. 1, 2 का कानूनन हक व कब्जा निहित है जिसमें अपने हिस्से की आराजी का विभाजन करवाने का प्रतिवादी कं. 1, 2 को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त आराजी को पक्षकारान संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं तथा पैदा होने वाली फसल का मुताबिक हिस्सा बंटवारा करते आ रहे हैं किन्तु सोयाबीन की फसल के वक्त प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 ने फसल का बंटवारा देने से इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी कं. 1, 2 हिस्से की आराजी काश्त करने गये तो हांकने से इन्कार कर दिया ओर कहा कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता है, जमीन मे पैर रखा तो जान से मार देंगें। इस प्रकार से उक्त आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य तनाजा बना हुआ है व प्रोपर्टी इन्मीडियों हो चुकी है तथा प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 ने अप्रार्थी कं. 1, 2 को उनके हिस्से व कब्जे की भूमि व लाभ से वंचित कर रखा है। प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 अपने [illegible] मंसूबों यदि लगातार सफल रहे तो प्रतिवादी कं. 1, 2 को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी [illegible] में [illegible] पूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः वादग्रस्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का [illegible] किया जाकर प्रतिवादी कं. 1, 2 के हिस्से की आराजी प्रतिवादी कं. 1, 2 को सीमांकन कर [illegible] पर सम्भलाई जावे व राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अमल किया जावे व प्रतिवादी कं. 1, 2 की आराजी में मदाखलत मजामहत, न करने हेतु प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 को पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि वादीनी ने वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात के रकबे को गलत दर्ज किया है व शजरा भी गलत दर्ज किया है। वादग्रस्त 3.30 हैक्टर आराजी को हम प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 वर्षों से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीनी एंव प्रतिवादी कं. 1, 2 ने कभी भी उक्त आराजीयात में से किसी प्रकार की आराजी को काश्त नहीं किया है और न ही वर्तमान में ही किसी प्रकार की आराजी पर कब्जा है। वादीनी द्वारा कभी भी उक्त वर्णित आराजीयात अथवा आराजीयात के किसी हिस्से को न तो कभी काश्त किया है और न ही काश्त करवाया गया है न ही वादीनी द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात अथवा बैंक ऋण के बारे में हम प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 से कोई बात की है। सहखातेदारान में से स्व.मन्ना जी वर्षों पूर्व ग्राम राजपुरा गोद चले गये थे तथा मन्ना के गोद चले जाने के बाद मन्ना का बक्शू की आराजी में कोई हक शेष नहीं रहने से उक्त आराजी को मन्ना के गोद चले जाने के बाद से आज दिन तक मन्ना व मन्ना के वारिसों ने कभी भी काश्त नहीं किया है। साथ ही मन्ना के गोद चले जाने के बाद उनके वारिसान राजप्रसाद जो कुन्हाडी कोटा में निवास करता है तथा लटूरबाई जो मांडूहेडा में निवास करती है, का उक्त आराजीयात में कोई हिस्सा नहीं रहता है और न ही उसके द्वारा उक्त आराजीयात में से किसी प्रकार की आराजीयात को काश्त किया है। सहखातेदार छोटू जिसके कोई औलाद नहीं है तथा वर्षों से हम प्रतिवादीगण के पास निवास करता रहा है छोटू द्वारा भी किसी प्रकार की आराजीयात को काश्त नहीं किया है यहां तक कि वादीनी वर्षो पहले शादी हो जाने के बाद से ही ग्राम कुराडियाकलां में निवास कर रही है। स्व. घांसीलाल की मृत्यु हो जाने के बाद नाम दर्ज हो जाने से खातेदार दर्ज की गई है किन्तु वादीनी द्वारा भी आज दिन तक किसी प्रकार की आराजीयात को काश्त नहीं किया है बल्कि सम्पूर्ण आराजीयात पर हक प्रतिवादीगण 3 लगायत 9 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा छोटू की पत्नी सुखीबाई की मृत्यु पर सारे कियाकर्म हम प्रतिवादीगण द्वारा ही किये गये हैं। वादीनी मांगीबाई चतुर चालाक किस्म की महिला है, ने छोटू जो हक प्रतिवादीगण 3 लगायत 9 परिवार का है तथा वर्षों से हमारे पास निवास किया है, वादी ने छोटू को बहला फुसलाकर उसकी वृद्धावस्था का फायदा उठाकर बिना छोटू की जानकारी में दिये मांगीबाई वादीनी के पति बिरधीलाल व वादीनी मांगीबाई के लडके रामबिलास ने फर्जी तौर पर छोटू के हिस्से की आराजीयात को हडपने की नीयत से विकय विलेख कराकर उक्त फर्जी विकय विलेख के आधार पर हक प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त की आराजीयात को हडपना चाहती है जिसका वादीनी को कोई अधिकार नहीं है तथा उक्त फर्जी शून्य एवं प्रभावहीन विकय विलेख के आधार पर वादीनी प्रतिवादी के पति व वादीनी के लडके रामबिलास द्वारा छोटू की लाईल्मी में निष्पादित करवाया गया है जो हम प्रतिवादीगण के हितों के प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

शून्य एवं प्रभावहीन है। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र की आड में हम प्रतिवादीगण को उनके कब्जेकाश्त की उक्त वर्णित आराजीयात से बेदखल किया गया तो हम प्रतिवादीगण को काफी अपरिमित क्षति होगी। हम प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त में चली आ रही उक्त आराजीयात से हम प्रतिवादीगण को बेदखल होना पडेगा। हम प्रतिवादीगण के परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। अतः दावा वादीनी सव्यय खारिज फरमाया जावे। दोनों पक्षों के अभिवचनों की प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण में तनकियात कायम की गई तथा बाद कायमी तनकियात पत्रावली साक्ष्य चल रही थी किन्तु दिनांक 06.08.2021 को उजाड नदी की बाड का पानी न्यायालय परिसर में घुसने से प्रकरण की मूल पत्रावली नष्ट हो गई। तदुपरान्त वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उनवान का मुकदमा माननीय न्यायालय में जैरकार है किन्तु दिनांक 06.08.2021 को सांगोद कस्बे में आई भीषण बाढ का पानी न्यायालय के रिकार्ड रूम में घुसने के कारण न्यायालय की कई पत्रावलियां बाढ में डूब गई तथा बाढ के बाद माननीय न्यायालय से जारी उपलब्ध चालू पत्रावलियों की सूची को देखने पर ज्ञात हुआ है कि हस्तगत पत्रावली उक्त सूची में शामिल नहीं है जिससे उक्त पत्रावली का बाढ में नष्ट होने की पूर्ण सम्भावना बन गई है तथा पेशगार जी से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा भी उक्त पत्रावली का न्यायालय रिकार्ड में नहीं होना जाहिर किया है। चूंकि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है जो मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डुप्लीकेट पत्रावली को रिकार्ड पर लेने के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि मुकदमें में प्रतिवादी क्रं. 5 की दिनांक 28.09.2020 को मृत्यु हो गई है जो लाऔलाद, कुवांरा फौत हुआ है जिसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रं. 4, 6, 7, 8 के रूप में पूर्व से ही रिकार्ड पर है। लिहाजा प्रतिवादी क्रं. 5 का नाम डिलिट किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रं. 5 का नाम रिकार्ड से डिलीट करने के आदेश पारित किया गया। तदनुसार वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक वादपत्र प्रस्तुत किया, जो रेकार्ड पर लिया गया। तदुपरान्त पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री करने के निवेदन किया। वादीगण की पहचान श्री [illegible] गौतम एडवोकेट ने व प्रतिवादीगण की पहचान श्री जयवर्द्धन गौतम एडवोकेट द्वारा की गई। [illegible] पक्षकारान तस्दीक किया गया। ऐसी सूरत में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजात, पक्षकारों के अभिवचनों एवं राजीनामा पक्षकारान का सूक्ष्मतम अवलोकन व अध्ययन करने के उपरान्त मुताबिक राजीनामा दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:42 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि पक्षकारान को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, राजस्व रिकार्ड में निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जावें :–

अ. हिस्सा व कब्जा बहक वादी मांगीबाई :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
खोबदा	60	0.01 गै.मु.बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन
	61	0.85 में से 0.24 उत्तरी–पश्चिमी
	62	1.59में से0.75 उत्तरी
	63	0.10

कुल किता 4 की कुल 1.10 हैक्टर

ब. हिस्सा व कब्जा बहक प्रतिवादी कं. 1, 2 रामप्रसाद, लटूरबाई :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
खोबदा	61	0.85में से 0.26 दक्षिणी–पश्चिमी
	62	1.59में से0.84 दक्षिणी

कुल किता 2 की कुल 1.10 हैक्टर

स. हिस्सा व कब्जा बहक प्रति.कं. 3 हिस्सा 1/3, प्रति.कं. 4 ता 7 हिस्सा 1/3 एवं प्रति.कं. 8 हिस्सा 1/3 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
खोबदा	59	0.75 हैक्टर
	61	0.85 में से 0.35 पूर्वी

कुल किता 2 की कुल 1.10 हैक्टर

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादीनी के हिस्से व कब्जे की उपरोक्त आराजी के मध्य की मेड की उपरोक्त आराजी व प्रतिवादी कं. 1, 2 के हिस्से व कब्जे की उपरोक्त आराजी के मध्य की मेड पर होकर प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 अपने हिस्से व कब्जे की आराजी तक आवागमन कर सकेंगें जिसमें वादी व प्रतिवादी कं. 1, 2 किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करेंगें। चूंकि मूलवाद के साथ प्रस्तुत टी.आई.कमांक 86/2011 में पारित निर्णय दि[illegible]1.2014 की अनुपालना में कार्यालय [illegible] राशि [illegible] तहसीलदार सांगोद तहसीलदार सांगोद में रिसीवर/कैश सिक्योरिटी की राशि [illegible] उक्त आराजी की जमाशुदा रिसीवर/कैश को आदेश दिये जाते हैं कि तहसील कार्यालय सांगोद में उक्त आराजी की जमाशुदा रिसीवर/कैश सिक्योरिटी की राशि की 1/3 हिस्सा राशि वादीनी को, 1/3 हिस्सा राशि प्रतिवादी कं. 1, 2 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

एवं 1/9 हिस्सा राशि प्रतिवादी कं. 3 को, 1/9 हिस्सा राशि प्रतिवादी कं. 4 लगायत 7 को एवं 1/9 हिस्सा राशि प्रतिवादी कं. 8 को भुगतान की जावे। तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:42 IST
Reason: SelfAttested